न्यायालय–सुनील कुमार नंदे, अपर सत्र न्यायाधीश, (स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सी.बी.आई केसेस) रायपुर (छ0ग0)

जमानत याचिका कमांक 2238/2019
संस्थित दिनांक 11.09.2019
अपराध कमांक 442/2018
आरक्षी केन्द्र विधानसभा
(आदेश दिनांक 13.09.2019 की प्रतिलिपि)

सोमेश कुमार टंडन, उम्र 24 वर्ष,
पिता श्री सुकलाल टंडन, निवासी
ग्राम चटौद, थाना विधानसभा,
जिला रायपुर छ.ग. ----------**आवेदक/अभियुक्त**

विरूद्व

छत्तीसगढ़ शासन,
द्वारा आरक्षी केन्द्र विधानसभा
जिला–रायपुर छ.ग. --------**अनावेदक/अभियोजन**

13.09.2019 माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर के आदेशानुसार यह जमानत आवेदन विधिवत् निवर्तन हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर थाना विधानसभा के अपराध कमांक 442/2018, धारा 294, 323, 506, 326, 307 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. का केस डायरी सहित प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री गोपी साहू, अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री के.के.शुक्ला, लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत।

इस आदेश द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत **धारा 439 दं0प्र0सं0** का निराकरण किया जा रहा है ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। केस डायरी का परिशीलन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता ने इस आशय का जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी के पति कुशालदास एवं अभियुक्त की मां तारण बाई के मध्य जमीन संबंधी मामला राजस्व न्यायालय में चल रहा है, जिसके कारण उसे प्रकरण में दुर्भावनावश झुठा फंसाया गया है। अभियुक्त स्थानीय निवासी है, उसके फरार होने की संभावना नहीं है। अभियुक्त 24 वर्षीय नवयुवक तथा स्थानीय निवासी है, इसलिए उसके फरार होने की संभावना नहीं है। अभियुक्त वर्तमान में पढाई के साथ ही पीएससी की तैयारी कर रहा है। प्रकरण के मुख्य अभियुक्त अश्वनी उर्फ बल्लू साहू एवं अभियुक्त लव कुमार उर्फ दाउ साहू को माननीय छ. ग. उच्च न्यायालय व्दारा एमसीआरसी नंबर 1429/2019 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2019

के अनुसार जमानत पर छोड़ा गया है। जमानत पर छोड़े गये मुख्य अभियुक्तगण के प्रकरण से आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण भिन्न नहीं है। अभियुक्त न्यायालय के समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः उसका जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में तारण बाई टंडन का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदक/अभियुक्त का माननीय सत्र न्यायालय, रायपुर के सक्षम यह <u>प्रथम जमानत आवेदन</u> अंतर्गत **धारा 439 दं0प्र0सं0** का है। इसके अलावा माननीय सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के समक्ष न कोई जमानत याचिका प्रस्तुत की गई है और न ही लंबित है या निराकृत किया गया है।

लोक अभियोजक ने आवेदन का विरोध करते हुये यह तर्क किया है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाये।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.12.2018 को रात्रि में आरोपीगण ट्रेक्टर में सवार होकर प्रार्थिया के घर के सामने आकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने लगे, प्रार्थिया व्दारा मना करने पर आरोपीगण ने उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। प्रार्थिया का बेटा निखिल जांगडे बीच बचाव करने आया तो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट किया जिससे उसके शरीर में चोटें आई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर उक्त अपराध पंजीबद्व कर विवेचना की जा रही है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 326, 307 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रकरण के अन्य सह अभियुक्त अश्वनी उर्फ बल्लू साहू एवं अभियुक्त लव कुमार उर्फ दाउ साहू को माननीय उच्च न्यायालय व्दारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। इस अभियुक्त का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है, इसलिए जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि पूर्व में धारा 294, 323, 506, 326/34 भा.दं.सं. के अपराध के संबंध में इस न्यायालय में केस डायरी अन्य सह अभियुक्तगण के जमानत आवेदन के निराकरण के समय प्रस्तुत किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी उक्त धाराओं के संबंध में ही केस डायरी प्रस्तुत की गयी थी। वर्तमान में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 भा.दं.स. का अपराध बनना भी पाया गया है और उक्त संबंध में अतिरिक्त धारा 307 भा.दं.सं. के रूप में संयोजित किया गया है। उक्त धारा के समायोजन मात्र से विचारण

करने वाले न्यायालय की शक्ति में भी परिवर्तन हो गया है। पूर्व में अन्य सह अभियुक्तों का नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय व्दारा निरस्त किया जा चुका है। अतः आहत के चोट की गंभीरता, पूर्व में सह अभियुक्तों के जमानत आवेदन का निरस्तीकरण एवं पृथक से धारा 307 भा.दं.सं. के जोड़े जाने को देखते हुए यह मामला जमानत हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। फलतः **आवेदक/अभियुक्त सोमेश कुमार टंडन** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत **धारा 439 दं0प्र0सं0** निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति माननीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर को अवलोकनार्थ, एक प्रति संबंधित न्यायालय को एवं आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को सूचनार्थ भेजी जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सुनील कुमार नंदे
अपर सत्र न्यायाधीश
(स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट
फॉर ट्रायल ऑफ सी.बी.आई केसेस)
रायपुर (छ0ग0)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर की ओर सादर अवलोकनार्थ संप्रेषित।
2. श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर अथवा संबद्व न्यायालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. थाना प्रभारी, थाना विधानसभा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सुनील कुमार नंदे
अपर सत्र न्यायाधीश
(स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट
फॉर ट्रायल ऑफ सी.बी.आई केसेस)
रायपुर (छ0ग0)

<u>प्रमाण पत्र</u>

मैं पुष्टि करता हूं कि इस पी0डी0एफ0 फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गयी है।

स्टेनोग्राफर/साक्ष्य लेखक/अन्य का नाम :–मातेश्वर देवांगन, स्टेनोग्राफर